



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275589
CG-DL-E-19082026-275589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4414]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4414]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

का.आ. 4594(अ) .— पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारी, सिलीगुड़ी (तीस्ता बैराज परियोजना) तथा विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारी, जलपाईगुड़ी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन प्रभाग, सिलीगुड़ी-झापा पाइपलाइन (एसजेपीएल) परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है। उक्त पाइपलाइन परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के सिलीगुड़ी ब्लॉक तथा दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी एवं खोरीबाड़ी ब्लॉकों से होकर गुजरेगी।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025/6/2026-ओआर-1/ई-56927]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August 2026

S.O. 4594(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Special Land Acquisition Officer, Siliguri (Teesta Barrage Project) and Special Land Acquisition Officer, Jalpaiguri as Competent Authority for Indian Oil Corporation Ltd., Pipelines Division, Siliguri Jhapa Pipeline (SJPL) project, which shall traverse through Siliguri Block in Jalpaiguri District and Naxalbari and Kharibari Blocks in Darjeeling District of West Bengal State.

This notification will be effective from the date of Issue.

[F. No. R-11025/6/2026-OR-I/E-56927]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.